

दवालिया फर्मों का खरीदार कौन ?

बैंकरप्सी कोड को जीएसटी के बाद सरकार का दूसरा सबसे बड़ा सुधार माना जा रहा। दरअसल, बैंकरप्सी कोड बैंड लोन की समस्या से नपिटने में अहम साबित हो सकता है।

- वदिति हो कि बैंकरप्सी कोड 2016 के अनुसार कसिी ऋणी के दवालिया होने पर आसानी से उसकी परसिंपत्तियों को अधिकार में लिया जा सकता है।
- इस कानून के लागू होने से ऋणों की वसूली में अनावश्यक देरी और उससे होने वाले नुकसानों से बचा जा सकेगा। ऋण न चुका पाने की स्थिति में कंपनी को अवसर दिया जाएगा कि वह एक नशिचति कालखंड में अपने ऋण को चुका दे, अन्यथा स्वयं को दवालिया घोषति करे।
- यदि कोई ऋणी दोषी पाया जाता है तो उसे 5 साल की सज़ा का भी प्रावधान है। लेकिन अहम सवाल यह है कि दवालिया घोषति कंपनियों को खरीदेगा कौन?

बाज़ार का गणति

- दवालिया प्रकरिया दरअसल एक बाज़ार है जहाँ खरीदार और वकिरेता दोनों पक्ष मौजूद हैं। बाज़ार सही ढंग से काम करे इसके लिये आवश्यक है कि दोनों पक्ष भी सही ढंग से काम करें।
- जहाँ तक दवालिया फर्मों को खरीदने का सवाल है तो दो तरह के खरीदार हमारे सामने हैं: पहले वे जो तत्कालीन समस्या के बीच ही फर्म को खरीदते हैं और दूसरे वे जो नकदीकरण की प्रकरिया में इसे खरीदते हैं।
- दरअसल, कसिी कंपनी द्वारा तत्काल देनदारी नहीं चुकाया जाता तो उसे मौजूदा चति माना जाता है। हालाँकि देनदारी में पहली चूक के बाद उत्पन्न वत्तीय तनाव संस्थागत पूंजी को नष्ट कर देता है।
- इन परस्थितियों में फर्म का मूल्य तेज़ी से कम होने लगता है क्योंकि उत्पन्न वत्तीय तनाव अंशधारकों को फर्म को चलाए रखने लिये प्रोत्साहति नहीं कर पाता है।
- समय बीतने के साथ ही फर्म केवल चुनदि भौतिक परसिंपत्तिका जमावड़ा भर बनकर रह जाती है जिसका नकदीकरण कर दिया जाता है। यहाँ खरीदार परसिंपत्तिका बदले नकदी देने की पेशकश रखता है।
- वदिति हो कि कोई नज़ि इक्वटी फंड ही तात्कालिक संकट से जूझ रही फर्म का सही खरीदार होता है। खरीदार रियायती दर पर संकटग्रस्त फर्म को सही समय पर खरीदता है और संसाधनों के ज़रिये उसकी तकदीर सुधारने का प्रयास करता है।
- नज़ि इक्वटी फंड उस कारोबार को मुनाफे वाला बनाने का प्रयास करते हैं। शीर्ष 2000 सूचीबद्ध कंपनियों भी अपने-अपने क्षेत्र की संभावति खरीदार तो हैं ही।
- खरीदार ग्राहक आधार जुटाने, कुशल कर्मचारी और ब्रांड आदि मिलने पर ध्यान देता है। यदि पहले से ही बैंकरप्सी कोड लागू होता तो कगिफिशर 2009 में ही बकि जाता। उस वक्त जेट एयरवेज़ जैसे खरीदार उसकी कीमत लगा सकते थे। ऐसे खरीदार संगठनात्मक पूंजी को अलग ढंग से देखते हैं।
- दूसरा मामला है नकदीकरण का। यहाँ संगठनात्मक पूंजी समाप्त हो चुकी होती है और जो कुछ बेचा जाता है वह केवल भौतिक संपत्तिका लिये। यहाँ भी एक बेहतर खरीदार शीर्ष सूचीबद्ध कंपनियों से ही ही होगा। उदाहरण के लिये अगर ब्रिटानिया कसिी बेकरी की मशीन और ज़मीन सस्ते दाम पर खरीदे तो इसे समझा जा सकता है। यह उसके उत्पादन तंत्र का हसिसा बन सकता है।

क्या है 'द इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016' ?

- वदिति हो कि वगित वर्ष केंद्र सरकार ने आर्थिक सुधारों की दशिा में कदम उठाते हुए एक नया दवालियापन संहति संबंधी वधियक पारति कया था जिससे 'द इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016' के नाम से जाना जाता है।
- गौरतलब है कि यह नया कानून 1909 के 'प्रेसीडेंसी टाउन इन्सॉल्वेंसी एक्ट' और 'प्रोवेशियल इन्सॉल्वेंसी एक्ट 1920' को रद्द करता है और कंपनी एक्ट, लमिटिड लाइबलिटी पार्टनरशिप एक्ट और 'सेक्यूटाईज़ेशन एक्ट' समेत कई कानूनों में संशोधन करता है।
- दरअसल, कंपनी या साझेदारी फर्म व्यवसाय में नुकसान के चलते कभी भी दवालिया हो सकती है। यदि कोई आर्थिक इकाई दवालिया होती है तो इसका मतलब यह है कि वह अपने संसाधनों के आधार पर अपने ऋणों को चुका पाने में असमर्थ है।
- ऐसी स्थिति में कानून में सपष्टता न होने पर ऋणदाताओं को भी नुकसान होता है और स्वयं उस वयक्तिया फर्म को भी तरह-तरह की मानसकि एवं अन्य परताडनाओं से गुज़रना पड़ता है। देश में अभी तक दवालियापन से संबंधति कम-से-कम 12 कानून थे जिनमें से कुछ तो 100 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं।

क्या हो आगे का रास्ता ?

- दवालिया होने वाली फर्मों के संभावित खरीदारों में बैंकरप्सी कोड को लेकर चर्चा व्याप्त है। उनकी चर्चाएँ यह हैं कि क्या यह तंत्र उस तरह काम करेगा जैसे सोचा गया था? क्या लेनदेन सही ढंग से होगा? कहीं बाद में कानूनी अड़चन तो नहीं आएगी?
- ये अनिश्चितताएँ खरीदार को बहुत नयितरति बोली लगाने पर विवश करती हैं। यहाँ सरकार को वशि्वसनीयता बहाल करनी होगी।
- दरअसल, देश में कई नज्जी पूंजी फंड हैं जो अभी इतने समृद्ध नहीं हैं कि दवालिया होने वाली फर्मों के लिये उल्लेखनीय निविश कर सकें। ठीक इसी तरह 200 सूचीबद्ध कंपनियों को भी दवालिया फर्म खरीदने के लिये आवश्यक ढाँचा वकिसति करने में लम्बा समय लगेगा।
- सरकार को चाहिये कि वह दवालिया घोषित फर्मों को बेचने संबंधी मामलों के लिये गठित नियामक को अधिक स्वायत्तता प्रदान करे और यह नियामक बाज़ार को ध्यान में रखते हुए बकिरी योग्य परसिम्पत्तियों का मूल्य तय कर सके, क्योंकि कुछ न मलिन से यह बेहतर है कि कुछ भी मलि जाए।

नषिक्ष

दरअसल, बैंकरप्सी कोड की सफलता दवालिया फर्मों की नीलामी से प्राप्त राशपर निर्भर है। शुरुआती वर्षों में यह राशकिम ही रहेगी और इसके इसके लिये उपरोक्त वज़ह ही ज़मिमेदार हैं। इन परसिथितियों में राजनीतिक नेतृत्व को एक नियामक का गठन करना चाहिये जो दवालिया सुधार पर काम करे ताकि आने वाले सालों में नीलामी प्रक्रिया से बेहतर आय प्राप्त हो, जिससे कि बढ़ते हुए एनपीए को संतुलित किया जा सके। नीलामी प्रकिया खुली और नषिपक्ष हो तथा सभी पक्षों को समान अवसर मल्ले। हालाँकि आरंभिक नतीजों को लेकर ज़्यादा भावुक होने की आवश्यकता नहीं।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/who-is-going-to-buy-insolvent-firms>

